न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 04/2019 **दायर तारीख** 30-04-2019

1. सजनाई पुत्री हीराराम पत्नि करणाराम जाति जाट सा. आंतरोली सांगा तह. परबतसर हाल निवासी पुन्दलौता तह. डेगना।

––: *अपीलान्ट*

बनाम

1. तहसीलदार परबतसर
2. सरपंच ग्राम पंचायत बिठवालियां
3. भू. अभिलेख निरीक्षक जावाला
4. पटवारी हल्का बिठवालियां

–– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत पीलवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2018 नामान्तकरण संख्या 99 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान वकील अपीलान्ट

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) परबतसर (नागौर)

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 26.11.2019

1. अपीलार्थी सजनाई ने यह अपील अभिभाषक श्री गजराज चौहान के जरिये पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम आन्तरोली सांगा के खसरा नम्बर 71 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.62 हैक्टयर, खसरा नम्बर 58 रकबा 1.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 60 रकबा 0.61 हैक्टयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.59 हैक्टयर, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.94 हैक्टयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 3.23 हैक्टयर खसरा नम्बर 72 रकबा 0.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.02 हैक्टयर एवं खसरा न्म्बर 83 रकबा 1.94 हैक्टयर भूमि स्थित है। अपीलान्ट ने नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की हैं जिसमें अन्य हितबद्ध व्यक्ति जिनका नामान्तकरण साथ में भरा गया था उनको पक्षकार नही बनाया गया हैं तथा न ही कोई अनुतोष हितबद्ध व्यकितयों के विरूद्ध मांगा हैं क्योंकि अपीलान्ट केवल नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

हेतु अपील पेश की है। सम्पूर्ण नामान्तकरण कानुनी रूप से सही भरा गया हैं। अपीलान्ट ने बताया हैं कि अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में नाम गमलादेवी पुत्र हीरादेवी लिखा हुआ है। जो अपीलान्ट का घर पर बोलता नाम हैं। जबकि अपीलान्ट की वास्तविक नाम सजनाई देवी हैं जिस बाबत राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड वगैरहा में सजनाई देवी नाम है। आन्तरोली सांगा में गमलादेवी पुत्री हीराराम व सजनाई देवी पुत्री हीरारमा नाम से अन्य कोई महिला नहीं हैं एक मात्र अपीलान्ट हैं राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हुआ हैं। अपीलान्ट ने अपील पेश कर नामान्तकरण संख्या 99 ग्राम आन्तरोली सांगा को इस हद तक संशोधन करने का निवेदन किया हैं कि अपीलान्ट का नाम गमलादेवी के स्थान पर सजवाई देवी दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से दिनांक 06.08.2019 को जवाब पेश हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 के सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामील होकर प्राप्त हाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में नामान्तकण संख्या 99 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संम्वत 2075–78 की प्रति, आधार कार्ड की रसीद , राशन कार्ड, की छाया प्रतियां पेश की है।

3. अपीलान्ट की अपील पर उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि अपीलान्ट को घर पर लाड़ प्यार से गमला नाम से बोलते थे अपीलान्ट का वास्तविक नाम सजनाई हैं। अपीलान्ट के पिता हीराराम का स्वर्गवास होने पर फौतगी नामान्तकरण उसकी जाईन्दा के नाम दर्ज किया गया हैं जिसमें अपीलान्ट का नाम गमलादेवी अंकित कर दिया हैं। जबकि सही नाम सजनाई हैं जिसकी पुष्टि संरपच ग्राम पंचायत बीठवालिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र से होती है। जिसमें अपीलान्ट का नाम गमलादेवी के स्थान पर सजनाई नामान्तकरण में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

4. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन किया गया।

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

नामान्तकरण संख्या 99 ग्राम आन्तरोली सांगा के खातेदार हीराराम पुत्र नानूराम फौत होने पर जरिये विरासत के दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा फौत हुए खातेदार के वारिसान द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र में अंकित नाम के आधार पर दर्ज किया गया हैं। जिसकी जांच भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई हैं नामान्तकरण व वारिस प्रमाण पत्र में जो नाम दर्ज थे उनका अंकन सही होना बताया हैं जिसके बाद ग्राम पंचायत की साधारण सभा की बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव लेकर स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट ने वारिस प्रमाण पत्र पेश नहीं किया हैं जिसमें अपीलान्ट का नाम सजनाई देवी अंकित हो व नामान्तकरण दर्ज करने समय पटवारी हल्का द्वारा गलती से गमलादेवी अंकित कर दिया हो। अपीलान्ट द्वारा जो राशन कार्ड पेश किया हैं उसमें भी अपीलान्ट का नाम गमलादेवी दर्ज हैं जिसको गोला कर आगे हाथ से सजनाई लिखा हुआ हैं। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय नामान्तकरण में गलत नाम अंकित कर दिया हैं साबित नहीं होता हैं। अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण दर्ज होने में किसी प्रकार की त्रुटि सिद्ध करने में असफल रही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है, नामान्तकरण दिनांक 09.09.2018 को स्वीकृत किया गया था व नामान्तकरण अपील दिनांक 30.04.2019 को पेश की हैं, जो मयाद बाहर हैं, तथा दर्ज नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि अपीलान्ट द्वारा सिद्ध नहीं जी जाने के करण अपील स्वीकर योग्य नहीं है।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अभाव में मयाद बाहर होने व दर्ज नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। यह आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/19

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर